नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2009 से 3/2011

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद परवाणु, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर परिषद परवाणु के लेखाओं अवधि 4/09 से 3/11 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	ब्याज के रूप में प्राप्त आय को रोकड़ वही में लेखाबद्ध न करना	4.1	0.50
2	राशि व्यय हेतु शेष	6.1	47.67
3	दिनांक 31.03.11 तक, गृहकर सफाई कर दुकानों का किराय की वसूली शेष	7	55.30
4	गृह कर की दर मे वृद्धि न करने के कारण आय मे हानि बारे	7.1	153.100
5	सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये के रूप में वसूली न करना	8	23.56
6	स्टॉक मदों से सम्बन्धित रजिस्टर उपलब्ध न करना	9	4.23
7	संविदाकारों के बिलों से लेबर सैस की कटोती न करना	10	3.09
8	अधिक/अनियमित भुगतान बारे	11	0.15
9	गलत गणना के कारण अनुचित/अनियमित भुगतान	12	0.61
10	अधिक भुगतान बारे।	14	0.42
11	खरीद की वित्तीय स्वीकृति अंकेक्षण में न दिखाया जाना	17.1	4.02
12	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	18	0.16
13	बकाया वेतन व भत्ते का अधिक बनाया जाना	20	0.15
14	डीजल की भराई अधिक करके दुर्विनियोजन	21	0.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "झ" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद परवाणु के लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2011 तक का अंकेक्षण श्री सुरेश चन्द गुप्ता, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) श्री अनिल मेहरा अनुभाग अधिकारी (ले0प0) व श्री कृष्ण लाल नेगी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.12.2011 से 3.2.12 तक परवाणु में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जॉच के लिए क्रमशः मास 3/2010 व 12/2010 तथा 8/2009 व 11/2010 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। इस अंकेक्षण प्रतिवेंदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचनाओं व उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया गया हैं किसी की गलत/अधूरी सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

अवधि 4/2009 से 3/2011 तक के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹37000/– बनता है। कार्यकारी अधिकारी को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के नाम प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217 दिनांक 03.02.2012 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

अवधि 4/2009 से 3/2011 तक को वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर दिया गया हैं परिशिष्ट "क" में दर्शाए गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2010 व 31.03.2011 को क्रमशः ₹36914771.48/– व ₹54830721/–की राशि अन्तशेष के रूप में पाई गई। दिनांक 31.3.11 के अन्त शेष ₹54830721/–का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

1	रोकड़ वहियों में दिनांक 31.3.2011 को पाया गया अन्तशेष	54830721
2	बैंक बचत खातों में जमा राशि	54687085
	अन्तर	**143636**

बैंक समाधान विवरणी विवरण से परिशिष्ट "ख" में दर्शाई गई है।

4.1 राशि ₹0.50 लाख की ब्याज के रूप में प्राप्त आय को रोकड़ वही में लेखाबद्ध न करनाः–

₹2500000 / –की राशि का निवेश आठ वर्ष के लिए सावधि लेखा में दिनांक 07.05.07 को पैन्शन निधि से किया गया परन्तु परिषद द्वारा दिनांक 27.07.2007 को इस खाते को भूनाकर ब्याज सहित समस्त राशि को बैंक में पुनः निवेश कर दिया गया परन्तु प्राप्त ब्याज की राशि ₹49932 / –को रोकड़ वही में लेखांकित नहीं किया गया। प्राप्त ब्याज को रोकड़ वही में लेखांकित न किये जानें बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक लेखांकन अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 ₹3407 / –के जारी चैक कालातीत होने पर भी आवश्यक कार्यवाही न करनाः–

बैंक समाधान विवरण की जॉच करने पर पाया गया कि परिषद लेखा से चैक संख्या 0994901 दिनांक 10.09.2009 व चैक संख्या 731660 दिनांक 18.03.2009 क्रमशः ₹2500 / – व ₹907 / –के जारी किये गए थे जो कि काफी समय पूर्व ही कालातीत हो चुके थे परन्तु इनके भुगतान की पुष्टि प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करने के पश्चात रोकड़ वही में आवश्यक लेखांकन नहीं किया गया तथा अनावश्यक रूप से इन राशियों को बैंक समाधान विवरण में दर्शाया जा रहा है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक सुधार अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि निवेशः–

दिनांक 31.3.2011 को ₹92.50 लाख की राशि विभिन्न बैंकों में सावधि निवेश के रूप में निवेशित थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" पर दिया गया हैं।

5.1 अंकेक्षण के सुझावानुसार उचित वित्तीय प्रबन्धन करने पर ब्याज के रूप में ₹10820 / –की अतिरिक्त आय होनाः–

सावधि लेखाओं में निवेशित राशियों की जॉच करने पर पाया गया कि परिषद लेखा से कैनरा बैंक में दिनांक 23.01.2010 को ₹12 लाख की राशि 7% ब्याज दर पर तीन वर्ष की

अवधि के लिए निवेशित की गई थी। कम ब्याज दर तथा वर्तमान दरों को ध्यान में रखते हुए व उचित वित्तीय प्रबन्धन के आधार पर यह राशि समय पूर्व भुनाकर पुनः उच्च दरों पर निवेश की जानी अपेक्षित थी परन्तु परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गई। परिणाम स्वरूप परिषद को अतिरिक्त ब्याज से वचित होना पड़ा यद्यपि अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर मामला बैंक से उठाकर अतिरिक्त ब्याज के रूप में ₹10820/—की राशि प्राप्त की गई फिर भी भविष्य में उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

1	सावधि निवेश लेखा में दिनांक 23.10.2010 को 3 वर्ष के लिए 7% ब्याज दर पर निवेशित राशि	₹12 लाख
2	दिनांक 23.01.2013 को परिपक्वता राशि	₹1477728
3	समय पूर्व दिनांक 23.01.2012 को भूनाने पर ब्याज सहित प्राप्त राशि	₹1358464
4	दिनांक 23.01.2012 को एक वर्ष के लिए पुनः निवेश पर 9.25% ब्याज दर पर परिपक्वता राशि	₹1488548
5	दिनांक 23.01.2013 को अतिरिक्त ब्याज क रूप में प्राप्त/प्राप्त व्यय राशि	₹1488548 (—)1477728 ₹10820

6 अनुदानः—

परिषद लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2011 तक के दौरान प्राप्त व उपयोग किये गए अनुदानों का विवरण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ङ—1" व "ङ—2" पर दिया गया है। दिनांक 31.3.2011 को राशि ₹17918325/—अन्तिम शेष के रूप में थे। इस राशि में ₹4767325/—ब्याज सहित वर्ष 2009 से पूर्व से सम्बन्धित थे जिसका विवरण पृथक से परिशिष्ट "च" पर दिया गया हैं।

6.1 राशि ₹47.67 लाख की राशि व्यय हेतु शेषः—

सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट हेतु प्राप्त अनुदान के लेखाओं की जॉच करने पर पाया गया कि ₹4767325/—की राशि ब्याज सहित दिनांक 31.3.2011 को शेष थी। यह राशि वर्ष 2009 से लम्बित चली आ रही है। उक्त राशि का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जानाः—

प्राप्त अनुदान राशियों की जॉच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा अनुदान लेखा रजिस्टर विहित प्रपत्र पर स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार नहीं किया गया है। विहित प्रपत्र पर अनुदान लेखा रजिस्टर तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

7 आयः—

दिनांक 31.03.11 तक गृहकर सफाई कर दुकानों का किराय की राशि ₹55.30 लाख की वसूली शेषः—

अंकेक्षण में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2011 तक राशि ₹5529601/—की वसूली विभिन्न करों के रूप में शेष थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

1	गृहकर	4559989
2	सफाई कर	751549
3	दुकानों का किराया	218063

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या U.L.B.H(A) (7)—1/87—9237—9284 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली अपेक्षित थी लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

7.1 गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण आय में राशि ₹153.100/— लाख की हानिः—

नगर परिषद द्वारा नगर परिषद परिधि में बने भवनो पर 7.5% की दर से गृहकर अधिरोपित किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच(सी)(10)—7/98—II दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002—03 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006—07 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण परिषद की गृह कर की आय में ₹15310045/—की हानि हुई हैं इस राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है जिसका औचित्य स्पष्ट करें। नगर परिषद को परामर्श दिया जाता है कि गृहकर की दर में उक्त सरकारी आदेशों के अनुपालना में वृद्धि करके इसे 12.5% तक पहुँचाया जाए ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके।

गृहकर की आय की हानि का विवरणः–

वर्ष	7.5% को दर से गृह कर की मांग	12.5% को दर से गृह कर की अपेक्षित भाग	अन्तर
2009–10	8832719	14721198	5888479
2010–11	14132350	23553916	9421566
		योग	**15310045**

7.2 गृह कर सफाईकर व व्यापार कर का निर्धारण व मॉग न करनाः–

नगर परिषद परवाणु के लेखाओं अवधि 01.04.2009 से 31.3.2011 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर सफाईकर व व्यापार करके अधिकत्तर मांग व संग्रह पंजिकाओं में कई वर्षों से कर का निर्धारण नहीं किया गया और न ही गृहकर दाताओं से कर की मॉग की गई है जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि नगर परिषद द्वारा अभिलेखों का रख रखाव व नियमानुसार नही किया जा रहा हैं गृहकर सफाई कर व व्यापार कर कर की मांग, मांग व वसूली रजिस्टर में न चढ़ाये जाने से सम्बन्धित कुछेक प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया हैं अतः आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

गृहकरः–

क्र0सं0	नाम	वर्ष जिस अवधि का निर्धारण व मांग नहीं की गई
1	जोशी भवन श्री आर0एस0 जोशी यूको बैंक परवाणू सै0–4 MIG-H	2009–10, 2010–11
2	"मिगलानी भवन" श्री डी0आर0 मिगलानी हाऊस संख्या 47 MIG-H	2009–10, 2010–11
3	"लखनपाल हाऊस" श्री टी0आर0 लखनपाल सैक्टर–4, परवाणू MIG-H	2009–10, 2010–11
4	श्रीमति कुसुमलता कौल सैक्टर–4 परवाणू MIG-H	2009–10, 2010–11
5	श्री जोगिन्द्र सिंह चोपड़ा विला सैक्टर–4 MIG-H	2009–10, 2010711

सफाई करः–

क्र0सं0	नाम	वर्ष जिस अवधि का निर्धारण व मांग नहीं की गई
1	श्री एम0सी0 कौशिक HPMC परवाणू MIG-F-B-2 Block-III सैक्टर–III	2009–10, 2010–11
2	M/S Khanna Watch MIG-F-A-I सैक्टर–IV ब्लॉक-II परवाणू	2009–10, 2010–11
3	श्री सुखपाल सिंह बराहिया HIG-30 सैक्टर–3 परवाणू	2009–10, 2010–11
4	M/S आइश ट्रेक्टर लि0 MIG-P-27-28 परवाणू	2009–10, 2010–11
5	श्रीमति मन्जू शर्मा HIG-P-26 सैक्टर III परवाणू	2009–10, 2010–11
6	मै0 अविनाश ब्रदर्ज LIG-18 19 सैक्टर –III परवाणू	2009–10, 2010–11
7	श्री राकेश पाल सूद MIG-F-274 सैक्टर–4 परवाणू	2009–10, 2010–11
8	श्री धन राज MIG-F-217 सैक्टर –4 परवाणू	2009–10, 2010–11

व्यापार करः–

क्र0सं0	नाम	वर्ष जिस अवधि का निर्धारण व मांग नहीं की गई
1	मै0 समतल इलैक्ट्रोनिक्स डिवाईसिज सैक्टर–2, परवाणू प्लाट–6	2009–10, 2010–11
2	मै0 हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक्स सैक्टर परवाणू प्लाट 6 ए0बी0	2009–10, 2010–11
3	श्री राजेश कुमार चड्डा प्लाट नं0 7/5 बी सैक्टर–2 परवाणू	2009–10, 2010–11
4	मै0 डी0एम0 एन्टर प्राईजिज शैडज 5 से 6 सैक्टर 2 परवाणू	2009–10, 2010–11
5	मै0 एनसिस्को इन्डस्ट्रीज प्लॉट 19 जी सैक्टर II	2009–10, 2010–11
6	मै0 कमल ऐन्टर प्राईजिज शैडज 12, 13 सैक्टर–2 परवाणू	2009–10, 2010–11

8 सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये के रूप में राशि ₹23.56 लाख की वसूली न करना:—

नगर परिषद परवाणू के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 04.02.2001 के अनुसार सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल) कार्यालय को दी गई आकमोडेशन (Accomodation) के लिए अवधि 10/92 से 04/2001 के लिए पत्र संख्या MC/PWM/Office/2001/324 दिनांक 17.04.2001 द्वारा राशि ₹1051733/—का बिल बतौर कार्यालय के दो कमरों बिजली व पानी के किराये/व्यय हेतु दिया गया था परन्तु इसके बाद प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 04.02.2001 में पारित प्रस्ताव अनुसार कोई भी बिल सहायक कार्यालय को किराये के रूप में नही दिया गया। नगर परिषद द्वारा बिजली पानी व कमरों के किराये हेतु लागू फार्मूले के अनुवार 05/2001 से 03/2011 का किराया राशि ₹1304729/—बनता है। अतः इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि ₹1051733+₹1304729/=₹2356462/— बनती है। नगर परिषद परवाणू द्वारा पूर्व मे ंप्रस्तुत किए बिल ₹1051733/—व उसके बाद दिनांक 31.3.2011 तक किराये आदि के बिल के रूप में पत्र संख्या MC/PWN/2011-513-15 दिनांक 08.04.2011 द्वारा ₹2356462/—की मांग की गई थी परन्तु उपरोक्त राशि की वसूली हेतु कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी करने के साथ वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को यथासमय अवगत करवाया जाए।

9 राशि ₹4.23 लाख के स्टॉक मदों से सम्बन्धित रजिस्टर उपलब्ध न करना:—

नगर परिषद परवाणू के लेखावधि 04/2009 से 03/2011 के अंकेक्षण हेतु चयनित माह 08/2009 व 11/2010 के बिल/वाऊचर की जॉच पड़ताल में पाया गया कि निम्नलिखित वस्तुओं/सामग्री का सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में इन्द्राज का सत्यापन, स्टॉक रजिस्टरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न किये जाने के कारण न किया जा सका। स्टॉक रजिस्टरों को अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न करना अपने—आप में ही गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में स्टॉक/स्टोर के "Pilferage" पिलफिरेज से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

बिल/वा0सं0/तिथि	पूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु/सामग्री का नाम	मात्रा	कुल लागत
22 दिनांक 13.08.2009	मै0 जे0के0 फेवज पंचकुला हरियाण	एण्डो सल्फर	5 लिटर	990
23 दिनांक 17.08.2009	—यथोपरि—	नीम ग्राऊनीमिक्स	50 कि0ग्रा0	500
		ग्राऊनीम	2 लीटर	700
		पेरिमीटर फेन्सिग	60 वर्गमीटर	9734

22 दिनांक 03.11.2010	मै0 नागपाल ट्रेडिंग क0 परवाणू (हि0प्र0	एम0सील	4	80
	–यथोपरि–	पी0वी0सी0 सिस्ट्रेन	3	1275
		पी0वी0सी0 सेसन	3	150
		एम0सील	5	100
		भाईट सीमेन्ट	1	15
		सैनिटेशन आईटमज	–	546
		सैनिटेशन आईटमज	–	210
		सैनिटेशन आईटमज	–	45
		सैनिटेशन आईटमज	–	2173
37 दिनांक 16.11.2010	मै0 ककड़ एसोसिएटस लुधियाना (पंजाब)	गारवेज कन्टेनर	10 नं0	406657
				423175

अंकेक्षण में स्टोर/स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न करवाने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट की जाये व उपरोक्त दर्शाई गई सामग्री का सत्यापन लेखा–परीक्षा से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 संविदाकारों के बिलों से लेबर सैस की राशि ₹3.09 लाख की कटौती न करनाः–

नगर परिषद द्वारा संविदाकारों के माध्यम से करवाये जा रहे कार्यों की कुल राशि का 1% भाग की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित थी परन्तु परिषद द्वारा निर्माण कार्यो की कुल कार्य राशि से कोई भी कटौती नहीं की गई थी। कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वर्ष 4/2009 से 3/2011 तक की अवधि में राशि ₹3,09,10,763/–को कार्य करवाया गया जिस पर 1% की दर से ₹3,09,107/–की राशि लेबर सैस के रूप में काटी जानी अपेक्षित थी तथा तदानुसार यह राशि सचिव कामगार कल्याण बोर्ड निदेशालय श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला को भेजी जानी अपेक्षित थी। उक्त राशि की कटौती संविदाकारों के बिलों से न करना व सम्बन्धित विभाग को न भेजे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उक्त राशि को काटे जाने व जमा किये जाने बारे आवश्यक उचित कार्यवाही की जानी भी सुनिश्चित करें।

11 राशि ₹0.15 लाख का अधिक/अनियमित भुगतानः–'

वाऊचर संख्या 34 (i) दिनांक 25.08.2009 राशि ₹91671/–

कार्य का नाम कन्स्ट्रक्शन ऑफ सीमैन्ट कंक्रीट पेवमैन्ट रोड़ फ्रोम फिस स्वाईट टु वार्ड सावित्री निवास सैक्टर–1(ए)आर0डी0 0/72.30 मी0 से 132–30मी0

संविदाकार का नाम श्री अनिल शर्मा

बिल संख्या प्रथम व अन्तिम

माप पुस्तिका संख्या 40 पृष्ठ 9 व 10

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार को प्रथम व अन्तिम बिल के लिए राशि ₹91671/–का भुगतान किया गया। अनुबन्ध की मद संख्या 3 (सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन पेवमेन्टस रोडस टैक्स टूक्स एण्ड रन वे) द्वारा 29–02 घनमीटर का भुगतान ₹2850/–प्रतिघन मीटर की दर से ₹82707/–के लिए किया गया। जॉच करने पर पाया गया कि एक्सकावेसन व सी0सी0 1:6:12 के कार्य को ध्यान में रखते हुए सी0सी0 1:2:4 का कार्य मेल नहीं करता। करवाई गई खुदाई न सी0सी0 1:6:12 का कार्य ली गई आर0डी0 0/108.30 से 0/132.30 पर 2 मीटर की चौड़ाई मे ंकिया गया था जिसके आधार पर सी0सी0 1:2:4 का कार्य भी तदानुसार उतनी ही चौड़ाई में किया जाना अपेक्षित था। इससे अधिक चौड़ाई में किया गया कार्य उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि बिना किसी आधार के तैयार किये रोड़ पर सी0सी0 1:2:4 का कार्य वह भी 0.07 मीटर मोटाई मे ंकिया जाना सम्भव नहीं था। यदि यह कार्य किया/करवाया भी गया, तो भी यह निर्धारित माप दण्डों को ध्यान में रखते हुए व्यर्थ व्यय ही प्रतीत होता है। करवाए गए कार्य के समर्थन में स्वीकृत ड्राईंग/स्कैच तकनीकी स्वीकृति सहित अंकेक्षण में नहीं दिखाए गए। खुदाई व सी0सी0 1:6:12 के कार्य की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए निम्नवर्णित गणनानुसार सी0सी0 1:2:4 की कार्य मात्रा 3–36 घन मीटर बनती है। अधिक ली गई मात्रा 5.11 घन मीटर मात्रा बारे स्थिति ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा 5.11 घन मीटर की अधिक ली गई गणना हेतु ₹2850/–प्रति घनमीटर की दर से ₹14564/–की वसूली करके राशि जमा करवाई जाए।

आर0डी0	**ली गई गणना का विवरण**	**आर0डी0**	**सही गणना जो ली जानी अपेक्षित थी**	**अधिक ली गई कार्य मात्रा**
107–25 से 117–50	$\frac{9.75x5.30+4.00}{2}$ x0.07=3.17	0/108.30 से 132.30	24x2.00x0.07=3–36घन मी0	5.11घन मी0
117–50 से 132–50	$\frac{15.00x5.30+4.80}{2}$ x0.07=5.30			
	8.47			

12 गलत गणना के कारण ₹0.61 लाख की राशि का अनुचित/अनियमित भुगतानः—

वाऊचर संख्या 13 दिनांक 3.11.2010 राशि ₹586366/—

कार्य का नाम	रिपेयर एण्ड मैन्टीनैन्स ऑफ सीमैन्ट कंक्रीट रोड़ फ्रोम इन्डस्ट्रीयल प्लाट 67 टु वार्ड गुरू किरपा टी ऑन प्लाट 80 आर0डी0 0/0 से 0/63 व 0/0 से 0/133
संविदाकार का नाम	श्री वीरेन्द्र शर्मा
बिल संख्या	तृतीय व अन्तिम बिल

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को तृतीय व अन्तिम बिल के रूप में ₹586366/—का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य के तृतीय व अन्तिम बिल तक कार्य मद संख्या 2 (प्रोवाईडिंग एण्ड लेईग सी0सी0 1:5:10) का कार्य 385—48 घन मीटर करवाए जाने पर संविदाकार को ₹1550/—प्रति घन मीटर की दर से ₹597494/—का भुगतान किया गया। उक्त कार्य मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 40 के पृष्ठ 17 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 39—50 घन मीटर भी सम्मिलित थी जिसकी जॉच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 40 के पृष्ठ 8 पर दिनांक 21.08.2009 को किये गए कार्य के मापन के आधार पर गणना 234.32 घन मीटर लेकर संविदाकार को प्रथम चलत बिल में ₹1550/—प्रतिघन मीटर की दर से भुगतान किया गया। ततपश्चात द्वितीय चलत बिल में माप पुस्तिका संख्या 40 के पृष्ठ 17 पर दिनांक 11.09.2009 को रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना पुनः करके कार्य मात्रा 276.82 घनमीटर आंकते हुए 39.50 घन मीटर की मात्रा भुगतान में जोड़ी गई। जॉच करने पर यह भी पाया गया कि पूर्व में पृष्ठ 8 पर गणना वास्तविक थिकनैस के आधार पर लेकर की गई पाई जबकि पृष्ठ 17 पर गणना 0.15 मी0 फ्लैट थिकनैस के आधार पर की गई जिसका कोई औचित्य नहीं बनता था अनुचित रूप से कार्य मद की पुनः की गई गणना अपने आप में ही आपत्तिजनक है तथा द्वितीय चलत बिल में 39—50 घन मीटर की जोड़ी गई कार्यमात्रा संविदाकार को अनुचित लाभ दिए जाने हेतु ली गई प्रतीत होती है। इस गम्भीर आपत्ति बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 39.50 घन मीटर की अधिक ली गई गणना हेतु ₹1550/—प्रति घन मीटर की दर से ₹61225/—की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

12.1 तृतीय व अन्तिम बिल की जॉच करने पर पाया गया कि संविदाकार को प्रथम व द्वितीय चलत बिल में किए गए कार्य व भुगतान का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया तथा न ही इसे उचित प्रकार से सन्दर्भित ही किया गया था जिससे स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती थी। अन्तिम बिल को नियमानुसार उचित प्रकार सें तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13 राशि ₹0.53 लाख की स्कयोरिटी आयकर व बिक्री कर के रूप में कम कटौती करना व संविदाकार को देय शेष राशि ₹1309222/—बारे कोई लेखॉकन न करना:—

वाऊचर संख्या 11, दिनांक 3.11.2010, राशि ₹2,60,750/—

कार्य का नामः—	एनुअल रिपेयर एण्ड मैन्टीनैंस ऑफ वीचुमैन कारपेट सरफेस रोड़फ्रोंम एच0आई0
संविदाकार का नामः—	श्री होशियर सिंह
बिल संख्याः—	प्रथम चलत बिल
माप पुस्तिका संख्याः—	46 पृष्ठ 65 से 70 तक

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल के रूप में संविदाकार को ₹2,60,750/—का भुगतान किया गया। किये गए भुगतान पर निम्न वर्णित अंकेक्षण आपत्तियॉ पाई गईः—

संविदाकार द्वारा किये गए कार्य का मूल्य ₹444482/—ऑका गया जिसके आधार पर ₹44448/—की राशि की कटौती स्कयोरिटी के रूप में काटी जानी अपेक्षित थी परन्तु कार्यालय द्वारा कोई भी राशि स्कयोरिटी के रूप में नहीं काटी गई। ₹44448/—की कटौती स्कयोरिटी के रूप में संविदाकार से न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13.1 उपरोक्त वर्णित बिल से इनकम टैक्स की कटौती के रूप में ₹5750/—की राशि काटी गई जबकि नियमानुसार ₹10223/—की राशि काटी जानी अपेक्षित थी। ₹4473/—की राशि कम काटे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13.2 ₹5000/—की राशि की कटौती बिक्री कर के रूप में की गई जबकि नियमानुसार ₹8889/—की राशि बिक्री कर के रूप में काटी जानी अपेक्षित थी। ₹3889/—की राशि बिक्री कर के रूप में कम काटे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13.3 उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को शुद्ध भुगतान आवश्यक कटौती करने के पश्चात ₹250000/—का किया गया जबकि किये गए कार्य की मूल्य राशि ₹444482/—को ध्यान में रखते हुए तथा उपरोक्त वर्णित कटौतियों की राशि के आधार पर ₹391672/—का शुद्ध भुगतान किया जाना अपेक्षित था जो कि ₹141672/—से कम पाया गया। ₹141672/—को कम दर्शाई गई राशि बारे को कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तथा न ही कोई भी लेखांकन लेखों में किया गया पाया गया। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाएं।

14 राशि ₹0.42 लाख का अधिक भुगतानः—

वाऊचर संख्या 34 (ii) दिनांक 25.08.2009 राशि ₹94098/—

कार्य का नाम	कंसट्रक्शन ऑफ सीमैन्ट कंक्रीट पेवमैन्ट रोंड फ्रोम फिस पोंड टु टुवार्ड सविता निवास सैक्टर 1 (ए) परवाणु आर0डी0 0/0 से 72—30 मीटर
संविदाकार का नाम	श्री अनिल शर्मा
बिल संख्या	प्रथम व अन्तिम
माप पुस्तिका संख्या	40 पृष्ठ 8 व 9

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को प्रथम व अन्तिम बिल के रूप में ₹94098/—का भुगतान किया गया। कार्य मद संख्या 3 (सीमैन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन पेवमैन्टस रोडस टैक्सी ट्रक्स एण्ड रनवे) के कार्य मात्रा 26—86 घन मीटर भी सम्मिलित थी जिसकी जॉच करने पर पाया गया कि तैयार किए गए रोड के एकसकावेसन व सी0सी0 1:6:12 के कार्य को ध्यान में रखते हुए सी0सी0 1:2:4 का कार्य मेल नहीं करता करवाई गई खुदाई व सी0सी0 1:6:12 का कार्य भिन्न—2 आर0डी0 पर 1.00 मीटर से लेकर अधिकतम 2.90 मीटर की चौड़ाई में ही किया गया था जिसके आधार पर सी0सी0 1:2:4 का कार्य भी तदानुसार उतनी ही चौड़ाई मे किया जाना अपेक्षित था।

इससे अधिक चौड़ाई में किया गया कार्य उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योकि बिना किसी आधार को तैयार किये रोंड पर सी0सी0 1:2:4 का कार्य वह भी 0.07 मोटाई में किया जाना असम्भव प्रतीत होता है। यदि यह करवाया भी गया तो भी यह निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए ब्यर्थ व्यय ही था। करवाई गई खुदाई व सी0सी0 1:6:12 के कार्य की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए निम्न वर्णित गणनानुसार सी0सी0 1:2:4 की कार्य मात्रा 12.14 घन मी0 बनती है। अधिक ली गई 14.72 घन मी0 कार्य मात्रा बारे स्थिति ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा 14.72 घन मी0 की अधिक ली गई मात्रा हेतु ₹2850/—प्रति घन मी0 की दर से ₹41952/—की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

आर0डी0	**ली गई गणना का विवरण**	**आर0डी0**	**सही गणना जों ली जानी अपेक्षित थी**	**अधिक ली गई मात्रा घन मी0**
0/0 से 8.70	8.70x5.10+4.35/2x0.07=2.87	0/7.50 से 19.30	11.80x2.90+1.90/2x0.07=1.98	0.89
8/70 से 32.65	23.95x8.20+6.60+4.95/2x0.07=11.03	0/19.30 से 36.30	17.00x1.90+1.20/2x0.07=7.38	3.65
32.65 से 51.30	18.65x4.95+5.30+3.25/3x0.07=5.87	36.30 से 51.30	15.00x1.20+1.00/2x0.07	4.71

51.30 से 72.65	21.35x3.50+4.50+6.25/3x0.07=7.09/26.86 घन मी0	51.30 से 72.30	21.00x1.00+1.20/2x0.07=1.62/12.14घन मी0	5.47
				14.72घनमी0

15 वाऊचर संख्या 18 दिनांक 3.11.2010 राशि ₹1,36,679/–

कार्य का नाम	कन्सट्रकशन ऑफ आर/आर मैशनरी इन रिटेनिंग वाल इन सैक्टर–4 नियर शिव टैम्पल
संविदाकार का नाम	श्री मैनुधीर अन्सारी
चलत बिल संख्या	प्रथम
माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	46 पृष्ट संख्या 60 से 62

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को प्रथम चलत बिल के रूप में ₹136679/–का भुगतान किया गयां। किये गए भुगतान पर निम्न वर्णित टिप्पणियॉ अपेक्षित है:–

राशि ₹3575/–का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या (एक्सकावेसन इन अर्थ वर्क) के करवाए गए 82.50 घनमीटर कार्य हेतु ₹130/–प्रति घन मीटर की दर से ₹10725/–का भुगतान किया गया। माप पुस्तिका संख्या 46 के पृष्ठ 60 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जॉच करने पर पाया गया कि खुदाई का कार्य 3 मीटर की ऊंचाई तक लेकर भुगतान हेतु गणना (11x2.50x3=82.50 घन मी0) ली गई जबकि माप पुस्तिका में दर्ज क्रास सैक्शन के आधार पर सही गणना 11x2.50x1.00+3.00/2=55 घन मी0 ली जानी अपेक्षित थी। अतः 27.50 घनमीटर की अधिक गणना हेतु ₹130/–प्रति घन मी0 की दर से ₹3575/–का अधिक भुगतान किया गया है। ₹3575/–के किये गए अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा आवश्यक वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि परिषद कोष में जमा करवाई जाए।

15.1 ₹2475/– का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 4 (बोल्डर फिलिंग बिहाइंड रिटेनिंग वाल) की कार्य मात्रा 13.2 घन मी0 का भुगतान ₹750/–प्रति घन मी0 की दर से ₹9900/–के लिए किया गया। इस भुगतान की जॉच करने पर पाया गया कि पृष्ठ 6 पर दर्ज की गई रिकार्ड प्रविष्टियों के अनुसार गणना 11x0.80x1.50=13.20 घन मी0 ली गई जबकि स्टैंडर्ड ड्राईंग के आधार पर रिटेनिंग वाल के पीछे अधिकतम 10.60 मी0 की स्टोन फिलिंग को ध्यान में रखते हुए सही गणना 11x0.60x1.50=9.90 घन मी0 ली जानी अपेक्षित थी। अतः 3.30 घन मी0 की अधिक मापी गई मात्रा हेतु संविदाकार को ₹2475/–अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि ₹2475/–की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

16 अनुचित प्रकार से कार्य मद तैयार करके संविदाकार को ₹6504/–का अधिक भुगतानः–

नगर परिषद के विभिन्न निर्माण कार्यो की जॉच करने पर पाया गया कि रिटेनिंग वाल के कार्यो में आर0आर0 मैशनरी इन सीमैन्ट मोर्टर 1:6 के करवाए गए कार्य को किये जाने के पश्चात रिटेनिंग वाल की टाप पर पृथक से प्रवाईडिंग एण्डलेईंग सी0सी0 फ्लोरिंग 1:2:4 सी0सी0 1:3:6 की कार्य मद का संविदाकार को भुगतान किया गया। उक्त कार्यमद के विस्तृत नामिकलेचर में टापिंग कार्य भी सम्मिलित होने के कारण संविदाकारों को रिटेनिंग वाल की टापिंग हेतु दो–2 बार भुगतान संविदाकार को किया गया जिसके परिणाम स्वरूप संविदाकार को राशि ₹6504/– का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की राशि का विवरण निम्न वर्णित है। अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹6504/–की वसूली करना सुनिश्चित करें।

वा0स0/ दिनांक	कार्य का नाम/संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	कार्य मद का संक्षिप्त विवरण	कार्य मात्रा/भुगतान दर	अधिक भुगतान ₹ में
33 (i) 25.08.2009	कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैशनरी इन रिटेनिंग वाल श्री अनिल शर्मा	40 पृष्ठ 12 व 13	(4) सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4	5.51 वर्ग मी0 ₹140 प्रति वर्गमी0	771
33 (ii) 25.08.2009	कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैशनरी इन रिटेनिंग वाल श्री अनिल शर्मा	40 पृष्ठ 14	(4) सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4	5.51 वर्ग मी0 ₹140 प्रति वर्गमी0	771
32 3.11.2010	कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैशनरी इन रिटेनिंग वाल श्री राजेन्द्र सिंह चन्देल	40 पृष्ठ 14 से 16	(4) सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4	11.43 वर्ग मी0 ₹140 प्रति वर्गमी0	1600
18 3.11.2010	कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैशनरी इन रिटेनिंग वाल श्री मैनुदीन	46 पृष्ठ 60 से 62	(4) सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4	0.33 घन मी0 ₹140 प्रति वर्गमी0	653
19 3.11.2010	कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वाल श्री मैनुदीन	46 पृष्ठ 62 से 64	(4) सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4	0.55 घन मी0 ₹140 प्रति वर्गमी0	1089
46 (ii) 25.11.2010	–यथोपरि– श्री मैनुदीन	46 पृष्ठ 51	(2) सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4	0.36 घन मी0 ₹140 प्रति वर्गमी0	720
46 (iii) 25.11.2010	–यथोपरि– श्री मैनुदीन	46 पृष्ठ 49	(2) सी0सी0 फलोरिंग 1:2:4	0.45 घन मी0 ₹140 प्रति वर्गमी0	900
				योग	6504

17 वाऊचर संख्या 12 दिनांक 3.11.2010 राशि ₹402446/–

मै0 गोविन्द साहिब नालागढ़ को उनके बिल संख्या 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223 व 224 दिनांक क्रमशः 5.10.2010, 13.10.2010, 13.10.2010, 20.10.2010, 20.10.2010, 22.10.2010, 22.10.2010, 27.10.2010, 27.10.2010, 2.11.2010 व 2.11.2010 द्वारा सप्लाई की डम्बल पेवर व्हाईट 80 एम0एम0 साईज की मात्रा 946 वर्ग मी0 का भुगतान दर

₹374/–प्रतिवर्ग मीटर+13.75% वेट की दर से राशि ₹402446/– के लिए उक्त वाऊचर द्वारा किया गया। इस भुगतान की जांच पर निम्न वर्णित आपत्तियॉ पाई गईः–

₹76571/–की खरीद हेतु की गई औपचारिकता के विरूद्ध ₹325875/– की खरीद अनियमित/अनुचित प्रकार से करनाः–

कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या एम0सी0/पी0 डब्ल्यु एन/वर्क/2010–1399 दिनांक 19.08.2010 द्वारा पी0कास्ट सीमेन्ट पेवर 80 एम0एम0 थिक की मात्रा 180 वर्गमीटर की सप्लाई करने हेतु दरें आमंन्त्रित की गई फलस्वरूप तीन फर्मों से दरें प्राप्त हुई। न्यूनतम दरों के आधार पर मै0 गोविन्द साहिब एन्टर प्राईजिज नालागढ़ की दरें अनुमोदित करके उन्हें अनेक सप्लाई आदेश मास 10/2010 से 2/2011 तक की अवधि में 990 वर्गमीटर की मात्रा हेतु किये गए जिसके विरूद्ध 946 वर्ग मीटर की मात्रा की सप्लाई प्राप्त की गई। सीमेन्ट पेवर की 180 वर्गमीटर की मॉग के विरूद्ध 946 वर्ग मीटर की खरीद करके ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त फर्म को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से 766 वर्गमीटर की अतिरिक्त खरीद बिना आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किये ही कर ली गई। जिसके परिणाम स्वरूप बाजार प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा यदि यह निविदाऐं एक मुस्त 990 वर्गमीटर के लिए आमन्त्रित की जाती तो यह भी सम्भव था की यह सप्लाई इससे भी न्यूनतम दरो पर प्राप्त होती तथा परिषद को लाभ की प्राप्ति हुई होती। डम्बल साईज 80 एम0एम0 पेवरस व्हाईट की 180 वर्गमीटर जिस पर ₹325875/–का अतिरिक्त व्यय किया गया की खरीद अनियमित/अनुचित प्रकार से की मात्रा के विरूद्ध 94.6 वर्गमीटर किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

17.1 राशि ₹4.02 लाख की खरीद की वित्तीय स्वीकृति अंकेक्षण में न दिखाया जानाः–

उपरोक्त वाऊचर द्वारा राशि ₹402446/–की खरीदी हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान वित्तीय स्वीकृति अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रय किये जाने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जिसकी पुष्टि 90–90 वर्ग मीटर डम्बल पेवर व्हाईट के एक मास की अवधि में 11 सप्लाई आदेशों से होती है। ऐसा प्रतीत होता है की आवश्यक औपचारिकताओं की अनदेखी किये जाने के कारण यह प्राप्त नही की गई। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य मे कुल की जानी वाली खरीद हेतु एक मुश्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करके खरीद हेतु आवश्यक औपचारिकताओं का निर्वाह तदानुसार ही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

18 राशि ₹0.16 लाख के वेतन व भत्तों के अधिक भुगतानः–

श्री परमजीत सिंह, सफाई कर्मचारी व श्री सुरेन्द्र सफाई कर्मचारी के छुट्टियों के खाते/सेवा पंजिका छुट्टी खाते की जांच में पाया कि उक्त दोनों कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश/अर्धावेतन अवकाश (–) में दर्शाया गया था छुट्टियो के खाते की विस्तृत जॉच करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारियों को खाते में जमा छुट्टियों से अधिक छुट्टियॉ

स्वीकृति की गई है तथा शेष को (–) दर्शाया गया है जो नियमानुसार त्रुटिपूर्ण एवम अनियमित है जमा छुट्टियों से अधिक छुट्टियों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	तिथि व दिन जिनका अधिक भुगतान किया	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	कुल अधिक
1	श्री परमजीत सिंह	05.05.2007 से 19.05.2007 (15 दिन) अर्जित अवकाश	8320	499	4267
		14.11.2008 (1 दिन) अर्जित अवकाश	8570	1471	331
		24.04.2009 से 01.05.2009 (8 दिन) अर्जित अवकाश	8830	1943	2873
				कुल	7471
2	श्री सुरेन्द्र सफाई कर्मचारी	28.12.2008 से 31.12.2008 (4 दिन)	8570	1371	1283
		01.01.2009 से 12.01.2009 (12 दिन) (परिणीत अवकाश 4 दिनx2=8 12 दिनx2=24=32 अर्धवेतन अवकाश)	8570	1885	4047
		24.04.2010 से 30.04.2010 =7 दिन (अर्जित अवकाश)	9100	3185	2867
					8197

इस प्रकार छुट्टियों के खाते में जमा छुट्टियों से अधिक छुट्टियॉ स्वीकृत करने के कारण श्री परमजीत सिंह को ₹7471/–व श्री सुरेन्द्र को ₹8197/–कुल ₹15668/–का अधिक भुगतान किया गया है उपरोक्त सन्दर्भ में पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अधिक भुगतान ₹15668/–की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिको में छुट्टियों के खातों की जॉच–पड़ताल अपने स्त्तर पर की जाये तथा यदि ऐसे प्रकरण जिनमें जमा छुट्टियों से अधिक स्वीकृत की गई है का विवरण तैयार करके तदानुसार वसूली की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

19.1 कर्मचारियों की सेवा पंजिको में छुट्टियो से सम्बन्धित खाते को नियमानुसार नहीं भरा गया था। अतः छुट्टी खाते को नियमानुसार भरा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की गलती की सम्भावना न रहे। इसके अतिरिक्त सेवा पंजिकाओं के भाग–2 में स्वीकृत छुट्टी के सन्दर्भ में इन्द्राज नहीं किये गए थे जिससे कि छुट्टी खाते भाग–4 का सत्यापन नहीं किया जा सका। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 बकाया वेतन व भत्ते की राशि ₹0.15 लाख का अधिक बनाया जाना:–

नगर परिषद परवाणू में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वतन बिलों/बकाया वेतन–भतो बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राकेश कान्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता की (L.P.C) जो कि नगर पंचायत सुजानपुर टीहरा जिला हमीरपुर के सचिव द्वारा जारी की गई थी के अनुसार देय वेतन व भत्तों का योग ठीक नहीं था। अन्तरिम राहत के रूप में देय राशि जो नियमानुसार 20% आहरित की जानी वांछित थी जबकि वास्तव में यह 30% आहरित की गई है। पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशो के लागू होने के फलस्वरूप देय बकाया वेतन/भत्तों के बिल संख्या 27 दिनांक 04.11.2010 के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा श्री राकेश कान्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के पक्ष में वितरित किये गए वेतन व भत्तों का विवरण प्राप्त किये बगैर ही बकाया वेतन व भत्ता का बिल बनाया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण दल द्वारा अधियाचना संख्या 205 दिनांक 09.01.2012 के माध्यम से उक्त कर्मचारी द्वारा पूर्व कार्यस्थलों/कार्यालयों में आहरित किये गए वेतन–भत्तों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने बारे कहा गया। अधियाचना के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी परवाणू द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र संख्या एम0सी0/पी0 डब्ल्यू0एन0/2012–54 दिनांक 11.01.2012 में आहरित वेतन के विवरण की फैक्स प्रतियॉ प्रस्तुत की है उसी के आधार पर देय बकाया/वेतन व भत्तों के बिल की जॉच/अंकेक्षण में पाया गया कि श्री राकेश कान्त को भत्ते/वेतन के रूप में वितरित किये गए अन्तरिम राहत को गलत लिये जाने के कारण ₹14782/–का अधिक बिल बनाया गया था के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व अन्तिम भुगतान से इसकी कटौती की जानी सुनिश्चित की जाये।(कर्मचारी द्वारा वास्तव में आहरित राशि व बकाया बिल में दिखाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है)

20.1 यद्यपि अंकेक्षण अधियाचना के सन्दर्भ मे प्रस्तुत किये गए विवरण, फैक्स द्वारा प्राप्त किये गए है उसी आधार पर बिल की जॉच की गई है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विवरण की पुष्टि नियमानुसार अपने स्त्तर पर भी कर ली जाए व इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

21 डीजल की भराई अधिक करके राशि ₹0.15 लाख का दुर्विनियोजन:–

गाड़ी नं0 एच0पी0–15बी–3535 व डम्पर पलेसर की लौंग बुक की जॉच करने पर पाया गया कि गाड़ी के डीजल टैंक की क्षमता तथा खपत को ध्यान में रखते हुए डीजल की भरपाई अनुचित प्रकार से अधिक की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है। डीजल टैंक की क्षमता सें अधिक डीजल की भराई किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि ₹14564.80/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि को परिषद कोष मे जमा करवाया जाए।

HP-15B-3535

Name of Vehicle:-1.Bolero

Date	Balance fuel in the tank	Date & fuel filled	Total fuel	Km. covered during the period	Evera-ge of vichele	Consum -ption of fuel	Balane fuel in the tank at df-filing	Capa city of tank	Excess fuel show in the tank	दर प्रति लीटर ₹ में	वसूली राशि
1.4.09	40.5tr.	09.4.09 40ltr.	80.5 ltr	157Km. (1to9.4.09)	8.4	18.69 ltr.	61.81 ltr.	45 ltr.	16.81 ltr	31-20	524.47
1.5.09	28.4 ltr.	06.5.09 40 ltr.	68.4 ltr.	137Km. (1to6.5.09)	8.5	16.11 ltr.	52.29 ltr.	45 ltr.	7.29 ltr.	31-20	227.45
1.6.09	23.5 ltr.	03.06.09 40 ltr.	63.5 ltr.	70Km. (1to3.06.09)	8.4	8.3 ltr.	55.2 ltr.	45 ltr.	10.20 ltr.	31-20	318.24
1.10.09	41.5 ltr.	05.10.09 40 ltr.	81.5 ltr.	86Km. (1t05.10.09)	8.4	10.23 ltr.	71.27 ltr.	45 ltr.	26.27 ltr.	33-24	873.21
1.11.09	48.9 ltr.	16.11.09 40 ltr.	98.9 ltr.	151Km. (1to16.11.09)	8.4	17.97 ltr.	80.93 ltr.	45 ltr.	35.93 ltr.	33-29	1196.10
1.12.09	45.6 ltr.	02.12.09 40 ltr.	85 ltr.	67Km. (1to02.12.09)	8.4	7.97 ltr.	77.03 ltr.	45 ltr.	32.03 ltr.	33-29	1066.28
1.01.10	39.6ltr.	01.01.10 40 ltr.	79.6 ltr.	28Km. (1.1.10)	8.4	3.33 ltr.	76.27 ltr.	45 ltr.	31.27 ltr.	33-29	155.46
1.02.10	39.9 ltr.	11.2.10 40 ltr.	79.9 ltr.	254Km. (1.2.10to 11.2.10)	8.4	30.23 ltr.	49.67 ltr.	45 ltr.	1.40 ltr.	35.87	50.22
1.03.10	11.4 ltr.	03.03.10 40 ltr.	51.4 ltr.	42Km. (1to 3.3.10)	8.4	5 ltr.	46.4 ltr.	45 ltr.	1.10 ltr.	35.87	39.45
1.04.10	24.1 ltr.	01.4.10 25 ltr.	49.1 ltr.	26Km. (1.4.10)	8.4	3 ltr.	46.1 ltr.	45 ltr.	15.09 ltr.	35-89	541.58
1.5.10	32.7 ltr.	10.05.10 40 ltr.	72.7 ltr.	395Km. (1to10.5.10)	8.00	49.37	23	45 ltr.	-	-	-
1.7.10	23.21 ltr	01.07.10 40 ltr.	63.21 ltr.	25Km. (1.7.10)	8.00	3.12	60.09	45 ltr.	15.09 ltr.	35-89	541.58
1.8.10	12.59 ltr.	02.08.10 40 ltr.	57.59 ltr.	40Km. (2.8.10)	8.00	5.00	52.59	45 ltr.	7.59 ltr.	38-00	288.42
1.9.10	25.72 ltr.	01.09.10 40 ltr.	65.72 ltr.	26Km. (1.9.10)	8.00	3.25	62.47	45 ltr.	17.47 ltr.	38-00	663.86
1.10.10	34.72 ltr.	01.10.10 40 ltr.	74.72 ltr.	40Km. (1.10.10)	8.00	5.00	69.72	45 ltr.	24.72 ltr.	38-09	941.58
1.11.10	49.47 ltr.	03.11.10 40 ltr.	89.47 ltr.	132Km. (1 to 3.10.10)	8.00	16.5	72.97	45 ltr.	27.97 ltr.	38-12	1066.21
1.12.10	65.97	02.12.10	105.97	75Km.	8.00	9.37	96.6	45 ltr.	51.60 ltr.	38-12	197.00

	ltr.	40 ltr.	ltr.	(1 ro 2.12.10)							
1.1.11	62.60 ltr.	07.1.11 40 ltr.	102.60 ltr.	297Km. (1 to 7.1.11)	8.00	37.12	65.48	45 ltr.	20.48 ltr.	38-12	780.69
1.2.11	49.60 ltr.	10.2.11 40 ltr.	89.60 ltr.	198Km. (1 to 10.2.11)	8.00	24.75	64.85	45 ltr.	19.85 ltr.	38-12	756.68
1.3.11	43.98 ltr.	11.3.11 40 ltr.	83.98 ltr.	285Km. (1 to 11.3.11)	8.00	35.00	48.98	45 ltr.	3.98 ltr.	38-12	151.72
Dumper Placer											
1.9.10	114.74ltr	1.09.10 50 ltr.	164.74 ltr.	50	3.50	14.30	150.40	100 ltr.	50.40	38-12	1915.20
										Total	14564.80

22 मै0 राज कमल इलैक्ट्रिकलज को राशि ₹3297/– का अधिक व अनुचित भुगतानः–

परिषद अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भुगतान वाऊचर संख्या 24 दिनांक 03.11.2010 द्वारा मै0 राज कमल इलैक्ट्रिकलज को राशि ₹29,917/–का भुगतान बिजली के सामान की आपूर्ति हेतु किया गया था। उपरोक्त बिल/सामान की पूर्ति हेतु मंगवाई गई निविदाओं की जांच करने पर पाया गया कि तीन फर्मों द्वारा बिजली के सामान की पूर्ति हेतु दरें सभी करों सहित (Through Rate) भरी/लिखी गई थी तथा मै0 राज कमल इलैक्टिरकल, परवाणू की दरें न्यूनतम पाई गई थी। मै0 राज कमल इलैक्ट्रिकल द्वारा आपूर्ति किये गए बिजली की सामग्री मूल्य ₹2450+23930 पर वैट/बिक्री कर/संवर्धन कर 12.5% की दर से क्रमशः ₹306+2991 लगाकर बिल बनाया गया था तथा नगर परिषद परवाणू द्वारा भी इसका भुगतान अतिरिक्त कर सहित किया गया था जबकि भरी गई दरों अनुसार वैट/संवर्धन कर का भुगतान नहीं किया जाना था। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में ₹3297/–का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

23 अनुपयोगी "ट्रक्टर व ट्राली" की डिस्पॉजल न करनाः–

नगर परिषद परवाणू द्वारा उपलब्ध करवाये गए अनुपयोगी वस्तुओं के विवरण की जॉच के दौरान पाया गया कि एक "ट्रेक्टरज ट्राली" जो रजिस्टर प्रमाण पत्र अनुसार 13.09.1989 को खरीदी गई थी तथा 25.04.2004 तक उपयोग में लाई गई। तदोपरान्त उपयोग में नहीं लाई गई है। चर्चा में बताया गया कि "ट्रैक्टर व ट्राली" तब नगर–पंचायत/नगर परिषद द्वारा 15 वर्षों तक प्रयोग की गई तथा उसके बाद अनुपयोगी घोषित की गई है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि अनुपयोगी "ट्रैक्टर व ट्राली" को सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करके शीध्र निलामी करवाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर–ट्राली के अनुपयोगी होने पर निलामी न करवाने बारे भी वस्तु स्थिति स्पष्ट

की जाये क्योंकि ट्रैक्टर–ट्राली का समय बितने के साथ–साथ (व्हांस) अवमूल्यन हुआ है जिससे अप्रत्यक्ष रूप में नगर/परिषद को हानि हुई है।

24 विद्युत शुल्कः–

विद्युत शुल्क रजिस्टर का निर्माण किया जानाः–

जॉच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद से समय–2 पर बिजली शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसे कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि विद्युत परिषद से समय–2 पर राशि प्राप्त कर ली गई है या नही। अधिशासी अभियन्ता से पत्र संख्या पी0ई0डी0/कैस/2008/3072 दिनांक 4.02.2009 से प्राप्त की गई ₹1,75,489/–(चैक संख्या 5132.43 दिनांक 31.1.2009) मास 9/2007 व 10/2007 से सम्बन्धित दर्शाई गई। इससे पूर्व अवधि को समस्त राशि परिषद द्वारा प्राप्तकर ली गई है कि पुष्टि अभिलेख के अभाव में नहीं हो पाई। स्वतः स्पष्ट बिजली शुल्क रजिस्टर तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस महत्वपूर्ण रजिस्टर का निर्माण अविलम्ब किया जाए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि पूर्व मासों से सम्बन्धित शुल्क राशि की प्राप्ति कर ली गई है।

24.1 मास 3/2007 से 8/2007 तक को अवधि की विद्युत शुल्क की राशि प्राप्त न होनाः–

विद्युत शुल्क नस्ति की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 3/2007 से 8/2007, 4/2008 से 31.'3.11 तक की विद्युत शुल्क के रूप में कोई भी राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अवधि में विद्युत शुल्क की राशि प्राप्त न होने बारे मामला हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद के साथ उठाया जाए।

25 शराब उप करः–

शराब उप–कर रजिस्टर को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वार परिषद क्षेत्र में बेची जानी वाली शराब पर 1 रूपये प्रतिबोतल की दर से सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन से एकत्रित उपकर की राशि प्राप्त की जा रही थी परन्तु पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त आय की प्राप्ति प्राप्त व्यय राशि सम्बन्धित कोई भी स्वतः स्पष्ट रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है है कि उक्त आय की प्राप्ति की वास्तविक स्थिति क्यो हैं। सम्बन्धित रजिस्टर तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस महत्वपूर्ण अभिलेख को अविलम्ब तैयार करके यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व अवधि से सम्बन्धित समस्त अवधि की राशि प्राप्त कर ली गई है।

25.1 वर्ष 2009–10 व 2010–2011 की शराब उपकर की राशि प्राप्त न करनाः–

शराब कर की नस्ति का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2009–10 व 2010–2011 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं की गई हैं। दो वर्ष का समय बीत जानें पर भी नगर परिषद की आय को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त राशि को प्राप्त करने हेतु मामला सम्बन्धित विभाग के साथ उठाया जाए व भविष्य में प्राप्त व्यय आय को यथासमय प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित नस्ति के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि वर्ष 2006–2007 व 2007–2008, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 मे प्राप्त हुई राशि का कोई भी पत्र संलग्न नहीं था तथा न ही शराब उपकर रजिस्टर तैयार किये जाने के कारण आवश्यक पुष्टि हो सकी। उक्त अवधि में प्राप्त हुई राशियों को सन्दर्भित करके आवश्यक पुष्टि इस विभाग से करवाई जाए।

26 सम्पत्ति स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार न बनाया जानाः–

परिषद द्वारा वर्ष 2009–2010 व 2010–2011 में खरीदे गए विभिन्न अचल/चल सम्पत्तियों के स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों में निम्न त्रुटियॉ पाई गई जिस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख में आवश्यक सुधार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

दिनांक 23.10.2009 से सम्पति का नया स्टॉक रजिस्टर बनाया गया है तथा उक्त तिथि के बाद खरीदी गई समस्त वस्तुओं को मदवार न दर्शाकर खरीद गई वस्तुओं को क्रमवार दर्शाया गया है जो नियमानुसार एवम् प्रक्रियानुसार ठीक नहीं है क्योंकि खरीदी गई वस्तुओं/सम्पत्ति को नियमानुसार मदवार दर्शाया जाना अपेक्षित था।

26.1 दिनांक 23.10.2009 से प्रारम्भ किए गए सम्पत्ति रजिस्टर मे ंपूर्व स्टॉक रजिस्टर में शेष स्टॉक को नए रजिस्टर में नहीं लिया गया। नया रजिस्टर नगर परिषद की कुल अचल सम्पत्ति की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। अतः इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर को मदवार बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा समस्त अचल/चल सम्पत्ति को मदवार एक ही स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

26.2 चल–अचल सम्पत्ति का अवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

नगर परिषद परवाणू के स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई चल–अचल सम्पत्तियों का नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है प्रत्यक्ष सत्यापन न किये जाने के कारण किसी वस्तु/सम्पत्ति की उपलब्धता का संशय रहाता है। अतः यह

सुझाव दिया जाता है कि समस्त सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सम्पत्ति/वस्तु की वास्तविक भौतिक स्थिति का पता चल सके।

26.3 सम्पत्ति रजिस्टरों के अतिरिक्त कार्यालय के उपयोग हेतु व निर्माण के स्टॉक रजिस्टर के अंकेक्षण/जॉच पड़ताल के दौरान पाया गया कि विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों में अनुभोज्य वस्तुओं (Non-consumable and perwaneul articles) के अतिरिक्त अन्य वस्तुऐं (भोज्य वस्तुऐं) निर्माण सामग्री कार्यालय उपयोग हेतु खरीद गई भोज्य वस्तुओं को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करके इच्छानुसार किसी भी स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर दिया गया है तथा पिछली शेष मात्रा को या तो नजर–अन्दाज करके कहीं भी नए पृष्ठ पर दर्ज कर दिया गया है या फिर सीधे क्रमवार दर्शाया गया है जो भोज्य/अनुभोज्य वस्तुओं की वास्तविक स्थिति/मात्रा को स्वतः स्पष्ट नहीं करता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि चल/अचल सम्पत्ति, कार्यालय उपयोग हेतु खरीदी गई भोज्य/अनुभोज्य वस्तुओं व निर्माण कार्य एवम् रख–रखाव हेतु खरीदी गई निर्माण सामग्री एवम् वस्तुओं का अलग–2 स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार बनाया जाऐ तथा विशेष रूप से सम्बन्धित वस्तुओं की पिछली मात्रा को सत्यापन उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में मदवार/वर्गीकृत कर दर्शाया जाए ताकि किसी भी वस्तु की सही मात्रा व स्थिति की जानकारी स्वतः स्पष्ट हो सके। उपरोक्त सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय अभिलेख सहित प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

27 विविधः–

नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यो की जॉच करने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा एक निर्माण कार्य 3–4 भागों में बॉट कर इन्हें करवाया जा रहा था। पड़ताल करने पर यह पाया गया कि उच्चाधिकारियों से निर्माण कार्यो की आवश्यक स्वीकृत/तकनीकी स्वीकृति को न प्राप्त करना पड़े के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण अभिलेख में पाए गए। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इन विभक्त निर्माण कार्यो को एक ही संविदाकार से करवाया गया है। यदि मुख्य निर्माण कार्यो को बिना विभाजित करवाया जाता तो एक तो निर्माण कार्य सही प्रकार से उच्चाधिकारियों के अनुमोदनोंपरान्त किया जाता तथा निर्माण कार्य की राशि भी अधिक होने के कारण सही बाजार प्रतियोगिता का लाभ भी प्राप्त होता। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मुख्य निर्माण कार्य को एक मुश्त आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करते हुए निर्माण कार्यो को करवाया जाए। मामला आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है।

27.1 नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यो की पड़ताल करने पर पाया गया कि करवाए जा रहे निर्माण कार्यो कि स्वतः स्पष्ट रूप से विस्तृत प्लान का विवरण नहीं दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कार्य का निष्पादन करते समय माप पुस्तिका में स्वतः स्पष्ट रूप से यह

भी उल्लेख नहीं किया जा रहा था कि की गई रिकार्ड प्रविष्टियों का क्या सन्दर्भ है व रिकार्ड प्रविष्टि व कौस्ट ऑफ एवस्ट्रेक्ट को बनाते समय कार्य मद का पूर्ण नामिक्लेचर का विवरण भी नहीं लिखकर संक्षिप्त रूप से इसे लिखा गया पाया गया। चलत बिलों को तैयार/बनाते समय पूर्व मे ंकिये गए कार्य का कोई उल्लेख न करके केवल उसी चलत बिल मे ंकिये गए कार्यो का मूल्यांकन करके इसे भुगतान हेतु पारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं होता की चल रहे चलत बिल की प्रत्येक मद वार व कृल कार्य की वर्तमान में क्या स्थिति थी। पाई गई उपरोक्त गम्भीर त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इन त्रुटियों को न दोहराते हुए निर्माण कार्ये का निष्पादन उचित प्रकार से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

27.2 नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यो से सम्बन्धित वर्कस रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा था जिससे समय–2 पर करवाए जा रहे कार्यो की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। वर्कस रजिस्टर स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वर्कस रजिस्टर का निर्माण स्वतः स्पष्ट रूप से यथा निर्माण कार्य का नाम अनुमानित लागत प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत राशि, निर्माण का आबंटन पत्र सन्दर्भ, सविदाकार का नाम, माप पुस्तिका सं0 व पृष्ठ चलत बिल संख्या तथा वास्तविक व्यय राशि इत्यादि का विवरण देकर तैयार किया जाए ताकि नगर परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों स्वतः स्पष्ट हो सके।

28 लधु आपत्ति विवरणिकाः–

लधु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी तथा समस्त लधु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया है।

29 **निष्कर्षः–**लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)66/79 खण्ड–5–4652–53 दिनांक 16.06.2012, शिमला –171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को सूचनार्थ।
2. सचिव, नगर परिषद परवाणू जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "झ"

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011 तक के पैरा संख्या 1 में वर्णित।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–9 (ए)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन(एल0ए0)खण्ड–I-1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा समाप्त)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (i) से (iii)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (iv)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011– फिन(एल0ए0) खण्ड–1 1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
5	पैरा–12	निर्णीत (–यथोपरि–)
6	पैरा–13	निर्णीत (–यथोपरि–)
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–17	अनिर्णीत
9	पैरा–18	अनिर्णीत
10	पैरा–19	अनिर्णीत
11	पैरा–20	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011– फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
12	पैरा–21	निर्णीत (–यथोपरि–)
13	पैरा–25	निर्णीत (–यथोपरि–)
14	पैरा–26	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

1	पैरा–6	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
8	पैरा–15	अनिर्णीत

9	पैरा–19 (1)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
10	पैरा–19 (2)	निर्णीत (–यथोपरि–)
11	पैरा–19 (3)	निर्णीत (–यथोपरि–)
12	पैरा–19 (5)	निर्णीत (–यथोपरि–)
13	पैरा–21	निर्णीत (–यथोपरि–)
14	पैरा–22	अनिर्णीत
15	पैरा–23	अनिर्णीत
16	पैरा–26 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–27	अनिर्णीत
18	पैरा–28	अनिर्णीत
19	पैरा–29	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 90 से 3 / 95

1	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (i)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
6	पैरा–7 (1) (ख)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
7	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–10 (क)	आशिंक अनिर्णीत। ₹3714 / –की वसूली शेष है।
15	पैरा–10 (ग)	आशिंक अनिर्णीत। ₹19500 / –की वसूली शेष है।
16	पैरा–11	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
17	पैरा–13 (ग)	निर्णीत (–यथोपरि–)
18	पैरा–14	निर्णीत (–यथोपरि–)

19	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (घ)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
22	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (छ)	आशिंक अनिर्णीत। ₹1250 / –की वसूली शेष है।
24	पैरा–16 (5)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
25	पैरा–16 (7)	अनिर्णीत
26	पैरा–16 (8)	अनिर्णीत
27	पैरा–16 (9)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
28	पैरा–16 (10)	अनिर्णीत
29	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत
30	पैरा–17 (2)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
31	पैरा–17 (3)	अनिर्णीत
32	पैरा–17 (4)	अनिर्णीत
33	पैरा–18 (i) (1)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (i) (2)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (1) (5) से 18 (1) (7)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (3) (4)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (7) (3) से (13)	अनिर्णीत
39	पैरा–19 (1) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा–19 (3) (i) (क)	अनिर्णीत
41	पैरा–19 (4)	अनिर्णीत
42	पैरा–19 (5) व (6)	अनिर्णीत
43	पैरा–19 (7) (1) (ख) (ग)	अनिर्णीत
44	पैरा–19 (7) (2) (3) (4) (5)(6)	अनिर्णीत
45	पैरा–19 (8) (क) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत
46	पैरा–19 (9)	अनिर्णीत
47	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
48	पैरा–20 (6) (7)	अनिर्णीत
49	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत

50	पैरा—22 (1)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
51	पैरा—22 (1) (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ (1, 2, 3)	अनिर्णीत
52	पैरा—22 (3)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
53	पैरा—23 (2)	अनिर्णीत
54	पैरा—24 (1 से 7)	अनिर्णीत
55	पैरा—24 (12) (13)	अनिर्णीत
56	पैरा—25 (1) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
57	पैरा—25 (2) (i)(ii)(iii) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
58	पैरा—25 (2) (iv)	अनिर्णीत
59	पैरा—25 (3) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
60	पैरा—25 (3) (i) (ii)	अनिर्णीत
61	पैरा—25 (4) (5) (6)	अनिर्णीत
62	पैरा—26	अनिर्णीत
63	पैरा—27 (1) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत
64	पैरा—27 (2) (3) (4) (5) (क) (ख)	अनिर्णीत
65	पैरा—28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4 / 95 से 3 / 98

1	पैरा—3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ)	अनिर्णीत
3	पैरा—7 (क) (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा—9 (क)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
5	पैरा—9 (ख) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा—10 (क) (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा—11 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा—13 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा—14 (क) (2)	आंशिक अनिर्णीतं ₹1012 / —को वसूली शेष है।
10	पैरा—14 (क) (3) (4)	अनिर्णीत
11	पैरा—15 (ख) (1) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा—18 (घ) (ण)	अनिर्णीत
13	पैरा—19 (क) (ख) (ग)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या

		1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
14	पैरा–20 (क) (i)(ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
15	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–21 (क) (ख)	अनिर्णीत
17	पैरा–22 (क)	आंशिक अनिर्णीतं ₹12700 / –को वसूली शेष है।
18	पैरा–22 (ख) 1, 2, 3	अनिर्णीत
19	पैरा–22 (ङ)	अनिर्णीत
20	पैरा–22 (च)	अनिर्णीत
21	पैरा–22 (घ) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत
22	पैरा–23 (ग) (घ)	अनिर्णीत
23	पैरा–24 (ख) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत
24	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
25	पैरा–24 (घ) (i) (iii)	अनिर्णीत
26	पैरा–24 (ङ) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)	अनिर्णीत
27	पैरा–24 (च) (ii)	अनिर्णीत
28	पैरा–24 (ज) (झ) (ञ)	अनिर्णीत
29	पैरा–24 (ठ) (ड)	अनिर्णीत
30	पैरा–25 (ii)	अनिर्णीत
31	पैरा–27 (क) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत
32	पैरा–28 (क) (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा–29 (क) (ख) (घ)	अनिर्णीत
34	पैरा–30 (क) 1, 2	अनिर्णीत
35	पैरा–30 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–30 (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ)	अनिर्णीत
37	पैरा–31 (क) (ख)	अनिर्णीत
38	पैरा–32 (क)	अनिर्णीत
39	पैरा–34 (ए) (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा–34 (बी) (ii)	अनिर्णीत
41	पैरा–34 (सी) (iii)	अनिर्णीत
42	पैरा–34 (डी) (ई) (एफ) (जी) (एच) (आई) (जे) (के) (एल)	अनिर्णीत
43	पैरा–34 (एन) (ओ) (पी)	अनिर्णीत
44	पैरा–34 (आर)	अनिर्णीत
45	पैरा–34 (एस से जैड तक)	अनिर्णीत

46	पैरा–34 (ए ए से के के तक)	अनिर्णीत
47	पैरा–34 (एम एम से आर आर)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2005

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
16	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
17	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
18	पैरा–9 (5) 1 से 3	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
23	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
27	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
28	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (ग) 1 से 3	अनिर्णीत
31	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत

32	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–12 (4)	अनिर्णीत
36	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत
37	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
38	पैरा–13 (5)	अनिर्णीत
39	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
40	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
41	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
42	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
43	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
44	पैरा–16 (1)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03.2012 द्वारा)
45	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
46	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत
47	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत
48	पैरा–17 (2) (क)	अनिर्णीत
49	पैरा–17 (2) (ख)	अनिर्णीत
50	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
51	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
52	पैरा–19	निर्णीत। (सटिप्पण उत्तरोपरान्त पैरा समाप्त किया)
53	पैरा–21	अनिर्णीत
54	पैरा–22	अनिर्णीत
55	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत
56	पैरा–23 (ग) (1)	अनिर्णीत
57	पैरा–23 (ग) (2)	अनिर्णीत
58	पैरा–23 (ग) (3)	अनिर्णीत
59	पैरा–23 (ग) (4) (1)	अनिर्णीत
60	पैरा–23 (ग) (4) (2)	अनिर्णीत
61	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत
62	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत
63	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत
64	पैरा–25 (क) (1)	अनिर्णीत
65	पैरा–25 (क) (2)	अनिर्णीत

66	पैरा–25 (ख) (1)	अनिर्णीत
67	पैरा–25 (ख) (2)	अनिर्णीत
68	पैरा–25 (ख) (3)	अनिर्णीत
69	पैरा–26 (1)	अनिर्णीत
70	पैरा–26 (2)	अनिर्णीत
71	पैरा–26 (3)	अनिर्णीत
72	पैरा–26 (4)	अनिर्णीत
73	पैरा–27 (1) (क)	अनिर्णीत
74	पैरा–27 (1) (ख)	अनिर्णीत
75	पैरा–27 (1) (ग)	अनिर्णीत
76	पैरा–27 (2) (क)	अनिर्णीत
77	पैरा–27 (2) (ख)	अनिर्णीत
78	पैरा–27 (2) (ग)	अनिर्णीत
79	पैरा–27 (3) (क)	अनिर्णीत
80	पैरा–27 (3) (ख)	अनिर्णीत
81	पैरा–27 (3) (ग)	अनिर्णीत
82	पैरा–27 (3) (घ)	अनिर्णीत
83	पैरा–27 (3) (ङ)	अनिर्णीत
84	पैरा–27 (4) (क)	अनिर्णीत
85	पैरा–27 (4) (ख)	अनिर्णीत
86	पैरा–27 (4) (ग)	अनिर्णीत
87	पैरा–27 (4) (घ)	अनिर्णीत
88	पैरा–27 (5) (क)	अनिर्णीत
89	पैरा–27 (5) (ख)	अनिर्णीत
90	पैरा–27 (5) (ग)	अनिर्णीत
91	पैरा–27 (5) (घ)	अनिर्णीत
92	पैरा–27 (5) (ङ)	अनिर्णीत
93	पैरा–27 (6)	अनिर्णीत
94	पैरा–27 (8) (क)	अनिर्णीत
95	पैरा–27 (8) (ख)	अनिर्णीत
96	पैरा–27 (8) (ग)	अनिर्णीत
97	पैरा–27 (8) (घ)	अनिर्णीत
98	पैरा–27 (9) (क)	अनिर्णीत
99	पैरा–27 (10) (क)	अनिर्णीत
100	पैरा–27 (10) (ख)	अनिर्णीत

101	पैरा–27 (10) (ग)	अनिर्णीत
102	पैरा–27 (10) (घ)	अनिर्णीत
103	पैरा–27 (10) (ङ)	अनिर्णीत
104	पैरा–27 (10) (च)	अनिर्णीत
105	पैरा–27 (11) (क)	अनिर्णीत
106	पैरा–27 (11) (ख)	अनिर्णीत
107	पैरा–27 (11) (ग)	अनिर्णीत
108	पैरा–27 (11) (घ)	अनिर्णीत
109	पैरा–27 (11) (ङ)	अनिर्णीत
110	पैरा–27 (12) (क)	अनिर्णीत
111	पैरा–27 (12) (ख)	अनिर्णीत
112	पैरा–27 (12) (ग)	अनिर्णीत
113	पैरा–27 (12) (घ)	अनिर्णीत
114	पैरा–27 (13)	अनिर्णीत
115	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत
116	पैरा–28 (2)	अनिर्णीत
117	पैरा–28 (3)	अनिर्णीत
118	पैरा–28 (4)	अनिर्णीत
119	पैरा–28 (5) (क)	अनिर्णीत
120	पैरा–28 (5) (ख)	अनिर्णीत
121	पैरा–28 (5) (ग)	अनिर्णीत
122	पैरा–28 (5) (घ)	अनिर्णीत
123	पैरा–28 (5) (ङ)	अनिर्णीत
124	पैरा–28 (5) (च)	अनिर्णीत
125	पैरा–28 (6)	अनिर्णीत
126	पैरा–28 (7)	अनिर्णीत
127	पैरा–28 (8) (1)	अनिर्णीत
128	पैरा–28 (8) (2)	अनिर्णीत
129	पैरा–28 (9)	अनिर्णीत
130	पैरा–28 (10)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–3 (क)	निर्णीत (सटिप्पण उत्तर के अवलोंकन के उपरान्त पैरा समाप्त किया)
2	पैरा–3 (ख)	निर्णीत (–यथोपरि–)
3	पैरा–4 (ii)	निर्णीत (–यथोपरि–)

4	पैरा–4 (iv)	निर्णीत (–यथोपरि–)
5	पैरा–4 (v)	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2009 से 03/2011 में प्रारूपित की गई)
6	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (ix)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (xi)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (xii)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (xiii)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (xiv)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (xv)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (xvi)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (xvii)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (xviii)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (xx)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (xxi)	अनिर्णीत
21	पैरा–5 (iii)	निर्णीत (₹44547/–की वसूली कर ली गई है)
22	पैरा–5 (iv)	निर्णीत (सटिप्पण उत्तर के अवलोकनोरान्त पैरा समाप्त)
23	पैरा–5 (vii)	अनिर्णीत
24	पैरा–6	अनिर्णीत
25	पैरा–6 (i) (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–6 (i) (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–7 (i) (क)	अनिर्णीत
28	पैरा–7 (i) (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (i) (घ)	अनिर्णीत
30	पैरा–7 (i) (छ)	अनिर्णीत
31	पैरा–7 (i) (ज)	अनिर्णीत
32	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
33	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत
34	पैरा–7 (vi)	अनिर्णीत
35	पैरा–7 (vii)	अनिर्णीत
36	पैरा–7 (viii) (क)	अनिर्णीत

37	पैरा—7 (viii) (ख)	अनिर्णीत
38	पैरा—8 (i)	अनिर्णीत
39	पैरा—8 (ii)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011 फिन(एल0ए0) खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03.2012
40	पैरा—8 (iii)	अनिर्णीत
41	पैरा—9 (i)	अनिर्णीत
42	पैरा—9 (ii)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 2007 से 3 / 2009

1	पैरा—3	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011 फिन(एल0ए0) खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03. 2012
2	पैरा—4	निर्णीत (—यथोपरि—)
3	पैरा—5	निर्णीत (—यथोपरि—)
4	पैरा—6 (क)	निर्णीत (—यथोपरि—)
5	पैरा—6 (ख)	निर्णीत (—यथोपरि—)
6	पैरा—6 (ग)	निर्णीत (—यथोपरि—)
7	पैरा—6 (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा—6 (ङ)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011 फिन(एल0ए0) खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03. 2012
9	पैरा—6 (च)	अनिर्णीत
10	पैरा—6 (छ)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011 फिन(एल0ए0) खण्ड—1 / 1151 दिनांक 01.03. 2012
11	पैरा—6 (ज)	अनिर्णीत
12	पैरा—6 (झ)	अनिर्णीत
13	पैरा—6 (ञ)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011 फिन(एल0ए0) खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03. 2012
14	पैरा—6 (ट)	निर्णीत (—यथोपरि—)
15	पैरा—7 (क)	निर्णीत (—यथोपरि—)
16	पैरा—7 (घ)	अनिर्णीत
17	पैरा—7 (ङ)	अनिर्णीत
18	पैरा—7 (च)	अनिर्णीत
19	पैरा—7 (ज)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1—548 / 2011 फिन(एल0ए0) खण्ड—1—1151 दिनांक 01.03. 2012
20	पैरा—7 (झ)	अनिर्णीत
21	पैरा—9 (क) (1)	अनिर्णीत

22	पैरा–9 (क) (2)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011 फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03. 2012
23	पैरा–9 (क) (3)	अनिर्णीत
24	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (ग) (1)	अनिर्णीत
26	पैरा–9 (ग) (2)	अनिर्णीत
27	पैरा–9 (ग) (3)	अनिर्णीत
28	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत
32	पैरा–9 (ज)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011 फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03. 2012
33	पैरा–9 (झ)	अनिर्णीत
34	पैरा–9 (ञ)	अनिर्णीत
35	पैरा–9 (ट)	अनिर्णीत
36	पैरा–9 (ठ)	अनिर्णीत
37	पैरा–9 (ड)	अनिर्णीत
38	पैरा–9 (ढ)	अनिर्णीत
39	पैरा–9 (ण)	अनिर्णीत
40	पैरा–9 (त)	अनिर्णीत
41	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
42	पैरा–10 (ख) से (ग)	निर्णीत (पृष्ठांकन संख्या 1–548/2011 फिन(एल0ए0) खण्ड–1–1151 दिनांक 01.03. 2012
43	पैरा–11 (क) व (ख)	अनिर्णीत